न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–180/132/08

उनवान

तोप सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर, राज.।

–वादी

बनाम

1. सहायक अभियंता भू– अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड चौमू, वृत 1, जयपुर, राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राज.

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–28.02.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी कस्बा नृसिंहपुरा, तहसील चौमू का निवासी है व कस्बा नृसिंहपुरा में वादी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 73, 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 224 व 225 है। भू–प्रबंधक विभाग द्वारा वादी के गत खसरा नम्बर 73 में से 17 है0 भूमि कम कर दी गई जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी आमेर हाल चौमू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सहायक कलक्टर, चौमू की डिक्री दिनांक 30.09.1993 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि का विभाजन किया था, जिसमें प्रार्थी के हिस्से में 27 बीघा 5 बिस्वा व 6 बिस्वा भूमि शामलाती मानी गयी थी, उक्त डिक्री की पालना में नामान्तकरण संख्या 178 दिनांक 30.06.1994 खोला गया जिसमें डिक्री के अनुसार रकबा दोनों पक्षों का रखा गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने एक आदेश क्रमांक 13/22/राज./ग्रुप–1/1993 दिनांक 23.05.1994 में यह जारी किया गया कि गत खसरा संख्याओं में वर्णित रकबे के अनुसार नया पर्चा जारी किया जाये। इस प्रकार डिक्री के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में गत खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 74 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 75 रकबा 12 बीघा, 77 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 78 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 79 रकबा 3 बिस्वा, 173 रकबा 7 बिस्वा का सम्पूर्ण भाग, खसरा नम्बर 70 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 317 का उत्तर दिशा का 1/2 भाग रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 237/1 व 237/2 का मिलाकर उत्तर दिशा का 1/2 भाग रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, इस प्रकार कुल रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा तथा गत खसरा नम्बर 76 रकबा 2 बिस्वा,

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

18 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 6 बिस्वा का 1/2 हिस्सा शामलाती होना चाहिये था। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त आदेश की पालना में नया पर्चा जारी करने के आदेश हुये थे, भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थी की खातेदारी के बाबत नया पर्चा जारी किया गया, जिसमें गत खसरा नम्बर 237/1 व 237/2 के मध्य खींची रेखा टेडी अंकित कर दी गई तथा नये पर्चे में कुल रकबा 6.89 हैक्टेयर के स्थान पर 6.61 हैक्टेयर प्रार्थी के खाते में अंकित कर दी, जो 0.28 हैक्टेयर रकबा कम दिया गया। प्रार्थी ने इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे भू–प्रबन्ध कार्य बंद होने के बाद धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को भेज दिया, मा. न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहत धारा 136 खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील प्रस्तुत की, माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 16.02.2001 को प्रार्थी की अपील स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण पर रिमाण्ड कर दिया। मा. संभागीय आयुक्त के आदेश की पालना में प्रार्थी ने संशोधन आवेदन अपने प्रार्थना पत्र में चाहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य खातेदारी की भूमियों के विभाजन के संबंध में सहायक कलक्टर चौमू द्वारा दिनांक 30.09.1993 को डिक्री जारी हुई थी। दोनों पक्षों को भूमि का विभाजन स्वीकार था। राजस्थान सरकार, भू–प्रबंध विभाग राजस्व ग्रुप–1 विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.1994 की अनुपालना में है जो नवीन पर्चा जारी हुआ था, जिसमें प्रार्थी की भूमि 0.28 हैक्टेयर कम दर्ज कर दी तथा गत खसरा नम्बर 237/1 व 237/2 के मध्य खींची जाने वाली रेखा टेडी अंकित कर दी गई। प्रार्थी के पूर्व प्रार्थना–पत्र में उक्त वर्णित संशोधन में जोड़ते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का निस्तारण किया जावे। वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा दिनांक 12.12.2001 को आदेश पारित किया गया। जिसमें गत खसरा नम्बर 73 में जो भूमि 0.17 है0 कम की गई थी, उक्त भूमि सड़क निर्माण होने के कारण प्रार्थी के खाते में कम कर दी गई थी जिसकी पूर्ति करवाने का अधिकारी है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी के भाई कल्याण सिंह संभागीय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 11.08.2003 के निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 12.12.2001 सड़क सम्बन्धी निर्णय को खारिज कर दिया व अपने आदेश में यह अभिमत व्यक्त किया कि प.डब्ल्यू.डी. रोड़ की भूमि को किसी के खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.08.2003 के सम्बन्ध मं अभियोगी के अधिवक्ता द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया गया व अवाप्त भूमि गत खसरा नम्बर 73 कस्बा नृसिंहपुरा, के संबंध में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा देने के संबंध में अनुशंषा चाही गई। इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2007 को प्रार्थी के अधिवक्ता को नोटिस का जवाब भेजकर यह दर्शाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रार्थी के भूमि गत खसरा नम्बर 73 रकबा 0.17 है0 का कोई अधिगृहण नहीं किया गया है। वादी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2007 के जवाब के

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

कारण वाद कारण पैदा होकर वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादी द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह आदेश पारित हुआ था कि खसरा नम्बर 73 जिसके हाल खसरा नम्बर 224 व 225 का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहण किया गया है, यदि मौके पर सड़क नहीं है तो पूर्ति की जाये लेकिन उसके विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय, जयपुर की अपील के फैसले में कहा गया कि उक्त रकबा की कमी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसके संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुआवजा प्राप्त करें। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति से ही इनकार किया है, ऐसी सूरत में वादी को खसरा नम्बर गत 73 के रकबा में 0.17 हैक्टेयर भूमि के कम करने के संबंध में वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

वादी ने यह अनुतोष चाहा है कि वादी के हक में गत खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 224 व 225 में कम किये गये रकबे की पूर्ति करवाने की घोषणा करवाई जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रिकॉर्ड की सही स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें व उसमें कोई परिवर्तन न करें।

वादी द्वारा वाद पेश होने पर दर्ज रजिसटर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित हुए व प्रतिवादी सं0 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने सें उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित किया गया कि मिन प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सड़क का निर्माण किया गया है, वादी का उक्त वाद झूंठा व बेबुनियाद होने से खारिज किय जाने योग्य है। क्योंकि ना तो तथाकथित भूमि में रोड़ का निर्माण मिन प्रतिवादी द्वारा किया गया है, ना ही उक्त भूमि में रोड़ निकलाया जाना मिन प्रतिवादी के क्षेत्राधिकार में है। मिन प्रतिवादी किसी प्रकार की रोड़ का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ना ही मिन अप्रार्थी से वादी किसी प्रकार की पूर्ति करवाने का अधिकारी है। वादी की किसी भी भूमि का मिन प्रतिवादी द्वारा ना तो सड़क हेतु अधिग्रहण किया गया है, ना ही तथाकथित भूमि में मिन प्रतिवादी द्वारा सड़क निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, ना ही सड़क निर्माण किया जाना मिन प्रतिवादी के क्षेत्राधिकार में है। वादी ने मिन प्रतिवादी को गलत रूप से पक्षकार बनाकर, मिन प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद पत्र किया गया है। जिस कारण वादी का वाद खारिज जाने योग्य है। वादी ने मिन प्रतिवादी को हैरान व परेशान की गरज से गलत रूप से पक्षकार बना कर उक्त वाद पेश किया है, इस कारण मिन प्रतिवादी को वादी से बतौर हर्जा खर्चा 5000/– रूपये दिलवाया जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में तनकीयात निम्न प्रकार से कायम की गई है–

आया वादी वाद पत्र के मद नं0 1 में अंकित विवादित आराजीयात वाके ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमूं में अनुतोष मद नं0 13 (अ) तथा 13 (ब) की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2. आया वादी का वाद पत्र जवाब दावे के विशेष विवरण के मद नं0 14 व 15 के आधार पर खारिज करने योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादी सं0 1

3. अन्य दादरसी।

प्रकरण में वादी ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। दोनों पक्षों द्वारा लिखित में बहस पेश की गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया व लिखित बहस का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात पर विनिश्चय किया गया।

1. तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रुप में स्वयं वादी को परिक्षित करवाया गया। वादी ने अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों से विपरीत जिरह में स्वीकार किया कि विवादग्रस्त भूमि से संबंधित निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की हैं। उक्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, आमेर के प्रार्थना पत्र 136 बाबत इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत किया था जो खारिज हो गया, जिसकी अपील सम्भागीय आयुक्त को की थी, जिसको रिमाण्ड किया था। उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही नामान्तकरण की प्रतिलिपि पेश की है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में दिये गये कथन की साबिक खसरा नं0 73 हाल खसरा नं. 224 व 225 में गै0मु0 सड़क हेतु भूमि अवाप्त नहीं की गई है ना ही उक्त खसरा नं0 से रोड़ निकाला जाना प्रस्तावित है। उक्त कथनों के संबंध में प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रुप में सहायक अभियन्ता को परिक्षित करवाया गया। जिनके जवाब दावे व मुख्य परीक्षण में किये गये कथन जिरह में भी अभिखण्डित रहे। इस प्रकार वादी तनकी नं0 1 को साबित करने में असफल रहा है कि विवादग्रस्त आराजी गत खसरा नं0 73 हाल खसरा नं0 224 व 225 में प्रतिवादी द्वारा भूमि ली गई हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं0 1 विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2. तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे मौखिक साक्ष्य व जिरह में कथन किया कि खसरा नं0 224 व 225 में भूमि खातेदारों से अवाप्त नहीं की गई है, न ही किसी प्रकार के सड़क निर्माण किया

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जाना प्रस्तावित है। उक्त तथ्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाह सहायक अभियन्ता से वादी द्वारा की गई जिरह में भी अभिखण्डित रही। इस प्रकार उक्त तनकी को प्रतिवादी साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–180/132/08

उनवान

तोप सिंह पुत्र बन्ने सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर, राज.।

–वादी

बनाम

1. सहायक अभियंता भू– अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड चौमू, वृत 1, जयपुर, राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.02.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....
सहायक कलक्टर
ओहदा.....चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner